श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0, उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–28.01.2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे से उनके कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्न सूची के अनुसार।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी।

सहायक उद्योग निदेशक, प्रभारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के द्वारा पूर्व से अनुशंसित कलस्टरों की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। अनुशंसित कलस्टर की विवरणी एवं सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उस पर लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है :–

कार्यावली संख्या–01:– सहरसा मखाना कलस्टर :– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित सहरसा जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0, कौशकी, रघुनंदन निवास, हटिया गाछी, वार्ड संख्या–32, सहरसा को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रूपये–233.91 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य का निदेश दिया गया था।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

आयडा एवं जीविका DPR को संशोधित कर जीविका का पत्रांक–3701 दिनांक–26.12.2025 द्वारा संशोधित परियोजना लागत रूपये –5,96,88,233.80/– को अनुमति हेतु राज्य स्तरीय समिति में भेजा गया।

कार्यावली संख्या–02 :–कटिहार मखाना कलस्टर :–दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित कटिहार जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0, मनीहारी रोड़, कटिहार को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रू0–249.89 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य का निदेश दिया गया था।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

आयडा एवं जीविका DPR को संशोधित कर जीविका का पत्रांक–3702 दिनांक–26.12.2025 द्वारा संशोधित परियोजना लागत रूपये –4,60,42,509.74/– को अनुमति हेतु राज्य स्तरीय समिति में भेजा गया।

समिति का निर्णय :– सहरसा एवं कटिहार मखाना कलस्टर में परियोजना लागत पर निम्न पृच्छाएँ समिति द्वारा की जाती है–

1. क्या परियोजना लागत को मार्केट सर्वे के आधार पर बनाया गया है ?

2. 01 वर्ष में परियोजना लागत में तीन गुणा की अप्रत्याशित वृद्धि का क्या औचित्य है ?

3. क्या परियोजना लागत संकल्प के दिशा–निर्देश के अनुरूप है ?

4. क्या परियोजना लागत में वृद्धि के संदर्भ में प्रबंध निदेशक आयडा एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका से अनुमोदन प्राप्त है ?

जीविका के प्रतिनिधि एवं आयडा के निदेशक कार्यक्रम कार्यान्वयन से इन बिंदुओ पर ठोस कारण के साथ जबाब एक सप्ताह के अन्दर समिति को समर्पित करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यावली संख्या–03 :– दरभंगा मखाना कलस्टर :– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित उज्जवला जीविका महिला किसान उत्पादक कम्पनी लि0 को मखाना कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रूपये–रू0 198.66 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, (जीविका) बिहार, पटना तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य का निदेश दिया गया था।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

समिति का निर्णय :– जीविका के प्रतिनिधि एवं आयाडा के निदेशक कार्यक्रम कार्यान्यवन से पूछे जाने पर उनके जवाब से यह प्रतित हुआ कि दरभंगा मखाना क्लस्टर का परियोजना लागत में वृद्धि बिना मार्केट सर्वे, बिना संकल्प के दिशा–निर्देश के बनाया जा रहा है अतः दरभंगा मखाना क्लस्टर में सहरसा एवं कटिहार मखाना क्लस्टर के अनुरूप ही पृच्छाएँ की जाती है।

कार्यावली संख्या–04 :– बाँस उत्पाद हेतु कलस्टर मधेपुरा :– दिनांक–13.11.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में जीविका द्वारा सम्पोषित वेणु शिल्प जीविका महिला उत्पाद समूह भटनी बाजार, पंचायत–विशुनपुर सुन्दर, प्रखंड–कुमारखंड में बाँस कलस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें कुल परियोजना लागत रू0 50.05 लाख को अनुमोदित करते हुए प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेन्सी (PMA) के रूप में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार, पटना (जीविका) कार्य करेंगी तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में आयडा को कार्य का निदेश दिया गया था।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की कार्यवाही ज्ञापांक–2913 दिनांक–26.11.2024 में निहित अनुदेशों के अनुरूप जीविका को सारी औपचारिकताएँ यथा SPV का गठन, निबंधन एवं CFC के लिए भूमि का प्रबंध आदि पूरी करने का निदेश दिया गया था।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा का पत्रांक–2375 दिनांक–23.12.2025 द्वारा सूचित किया गया की एस0पी0भी0 का गठन एवं निबंधन पी0एम0ए0 द्वारा किया जा चुका है। मनरेगा भवन में भूमि चिन्हित है तथा लिज एग्रीमेंट होना अभी बाकी है।

समिति का निर्णय :– सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु जीविका को यह निदेश दिया जाता हे कि बाँस क्लस्टर मधेपुरा हेतु शीघ्र भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाय ताकि क्लस्टर के कार्य को ससमय पूरा किया जा सकें।

कार्यावली संख्या–05 :– PVC एवं रबर शीट कलस्टर, वैशाली :–दिनांक–13.11.2023 को राज्य स्तरीय समिति द्वारा PVC एवं रबर शीट कलस्टर में प्रारंभिक तौर पर Mentoring Agency, CIPET, Hajipur को बनाया गया। कलस्टर हेतु कुल रू0 2,04,14,000/– (दो करोड़ चार लाख चौदह हजार रूपये) मशीन की खरीदारी निविदा के माध्यम से करने का निदेश दिया। साथ ही निविदा SPV द्वारा Float किया जायेगा, जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली जिला पदाधिकारी, वैशाली से समन्वय स्थापित कर जिला पदाधिकारियों को समाहित करते हुए क्रय समिति का गठन करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

दिनांक–11.07.2025 को उप विकास आयुक्त, वैशाली की अध्यक्षता में इस योजनान्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी क्रय करने हेतु निविदा के माध्यम से M/S Shiv Engineering and works, punjab को क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया।

SPV द्वारा चयनित निविदा दाता को प्लांट एवं मशीनरी क्रय के लिए प्रथम किस्त के भुगतान का अनुरोध विभाग को किया गया।

समिति का निर्णय :– राज्य स्तरीय समिति द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को यह निदेश दिया जाता है कि एस0पी0भी0 के खाते की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जाय की एस0पी0भी0 द्वारा अपना अंशदान जमा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त PVC एवं रबर शीट कलस्टर को संकल्पानुसार प्रथम किस्त की राशि 10% दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यावली संख्या–06 :– मेटल क्राफ्ट कलस्टर परेव, बिहटा :–दिनांक–17.11.2023 को निदेशक महोदय के अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा मेटल क्राफ्ट कलस्टर परेव, बिहटा में सामान्य सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण एवं मशीनरी की खरीदारी हेतु राज्य स्तरीय समिति ने आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को अधिकृत करने का निर्णय लिया। उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक–18.10.2023 को अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक–29.01.2024 को रू0 3.5 करोड़ एवं दिनांक–12.04.2024 को रू0 4.00 करोड़ आयडा, बिहार, पटना को हस्तानान्तरित किया गया।

निदेशक कार्यक्रम कार्यान्वयन आयडा के पत्रांक–4640 दिनांक–31.12.2025 द्वारा यह बताया गया कि दिनांक–30.10.2025 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के अध्यक्षता में आयडा जीविका दीदी एवं मशीनों के आपूर्तिकर्त्ता के साथ कार्य स्थल पर संयुक्त बैठक की गयी जिसके फलस्वरूप 2HI कोल्ड रोलिंग मिल के स्थान पर 4HI कोल्ड रोलिंग मिल की आपूर्ति करने के लिए लगभग 32.13 लाख एवं 315 KVA ट्रांसफर्मर, केबल, पैनल एवं अन्य विद्युतीय कार्य आपूर्ति करने के लिए लगभग 103 लाख अर्थात कुल 135.13 लाख की आवश्यकता होगी।

समिति का निर्णय :– मेटल क्राफ्ट कलस्टर परेव, बिहटा में सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना से डी0पी0आर0 की जॉच करने का निदेश दिया जाता है। जॉचोपरान्त डी0पी0आर0 के अनुरूप ही मशीनों की स्थापना आयडा द्वारा करवाने का निर्णय लिया जाता है।

कार्यावली संख्या–07 :–पावर लुम कलस्टर, मानपुर, गया, (2025) :– गया जिला स्तर पर दिनांक–06.10.2025 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सुश्री बंदना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया के पत्रांक–809 दिनांक–29.11.2025 द्वारा विद्युत करघा हेतु सामान्य सुबिधा केन्द्र स्थापना संबंधी प्रस्ताव अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया गया।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक–26.12.2025 की राज्य स्तरीय बैठक में पावरलुम कलस्टर मानपुर गया को अनुमति प्रदान की गयी थी।

समिति का निर्णय :– पावरलूम कलस्टर, मानपुर, गया हेतू संकल्पानुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गयाजी को निविदा के माध्यम से पी0एम0ए0 का चयन करने का निदेश दिया जाता है। पी0एम0ए0 चयन उपरान्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा पी0एम0ए0 को डी0पी0आर0 निर्माण हेतू आदेशित किया जायेगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ashutosh Kumar 27.02.2026 — Sangeeta 26.02.26 — 19/2/26

सहायक निदेशक उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	परियोजना प्रबंधक, जीविका, बिहार, पटना।	सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0 डी0एफ0ओ0,पटना।	निदेशक, (कार्यक्रम कार्यान्वयन) आयडा बिहार, पटना।	उप सचिव, उद्योग विभाग बिहार,पटना।	उद्योग निदे[शक] उद्योग निदेश[ालय] बिहार, पट[ना]

ज्ञापांक–...................../ पटना,दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः– 1. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म लघु [एवं] मध्यम विकास कार्यालय पटना/उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, योजना, उद्योग विभाग, बिह[ार] पटना/निदेशक, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन, आयाडा, पटना/सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, भा[रत] सरकार/प्रभारी पदाधिकारी एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

2. जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, वैशाली, पटना एवं गया[जी] /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, वैशाली, पटना एवं गयाजी / सचि[व] उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/निदेशक, एम0एस0एम0ई0, के निजी सहायक/उद्यो[ग] निदेशक के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......791......./ पटना,दिनांक–....02/03/26......

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलो[ड] करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, वैशाली, पट[ना] एवं गयाजी /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, दरभंगा, वैशाली, पटना एवं गया[जी] को ई–मेल किया जाय।

Ashutosh Kumar 02/03/2026

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।